

झारखंड सरकार  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

रांची, दिनांक.....

संख्या :- 3/प्रोन्नति-201/2010 का...../ झारखंड सचिवालय सेवा के श्री रंजीत रंजन प्रसाद, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, संप्रति - अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ - 5 में अंकित तिथि से प्रशाखा पदाधिकारी कोटि (पी0बी0 II वेतनमान रू0 9300-34800, ग्रेड पे0 रू0 4800/-) के पद पर वैचारिक प्रोन्नति (Notional Promotion) दी जाती है :-

क्र. सं.	प्रशाखा पदाधिकारी का नाम एवं पदस्थापित विभाग	जन्म तिथि/ से0नि0 तिथि	प्रशाखा पदाधिकारी के पद प्राप्त प्रोन्नति की तिथि	प्र0 पदा0 के पद पर वैचारिक प्रोन्नति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री रंजीत रंजन प्रसाद, स्वास्थ्य, चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग	<u>12.08.65</u> <u>31.08.25</u>	अधिसूचना संख्या 12221 दिनांक 01.11.2012	21.05.2010	अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश पर विभागीय ज्ञापांक 10321 दिनांक 07.12.2015 द्वारा आदेश संख्या 228 दिनांक 07.08.2010 द्वारा दी गई एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक संबंधी दण्ड को निरस्त करने के फलस्वरूप कनीय श्री उमेश कुमार सिन्हा को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर दी गई प्रोन्नति की तिथि 21.05.2010 से वैचारिक प्रोन्नति अनुमान्य।

2. श्री प्रसाद, अवर सचिव को आर्थिक लाभ सेवा संहिता के नियम 58 के प्रावधानानुसार प्रशाखा पदाधिकारी कोटि में वास्तविक पदभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमान्य होगा।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या 10592 दिनांक 01.11.2013 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अजय कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 3/प्रोन्नति-201/2010 का.....964/ राँची, दिनांक.....2:2:16

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

1  
20/02/16  
सरकार के अवर सचिव।